पत्र संख्या–जीएसटी अनुभाग/2022–23/ 270/2223035/राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
(जी0एस0टी0–अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 01, अगस्त, 2022

समस्त जोनल अपर आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः प्रान्तीय अधिनियम की धारा–51 के अन्तर्गत टी0डी0एस0 के प्रावधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

राज्य कर, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या–467/ग्यारह–2–9(37)/22–2022 दिनांक 29.07.2022 से समविषयक संदर्भ में विस्तृत दिशा–निर्देश जारी करते हुए अनुपालन की अपेक्षा की गई है। उ0प्र0 माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (जिसे आगे प्रान्तीय अधिनियम कहा गया है) की धारा–51 के प्रावधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में पूर्व में परिपत्र संख्या–2223030 दिनांक 15.07.2022 से यथावश्यक निर्देश निर्गत किए गए थे। उक्त के क्रम में फील्ड स्तर पर प्रदेश के सभी जनपदों में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सम्बन्धित आहरण–वितरण अधिकारियों की संगोष्ठी कराये जाने के तथ्य से मुख्यालय को संज्ञानित किया गया है। शासनादेश दिनांक 29.07.2022 के प्रस्तर–3 बिन्दु संख्या–7 के अनुक्रम में मुख्यालय स्तर पर श्रीमती रूही सक्सेना, संयुक्त आयुक्त, एण्टी प्रॉफिटियरिंग (ई–मेल आई0डी0 nodal-tds@up.gov.in तथा मो0नं0 7235001065) को नोडल अधिकारी एवं श्री संदीप श्रीवास्तव, सहायक आयुक्त (आई0टी0), वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ (मो0नं0–8476966786) को सहायक नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

2. शासनादेश दिनांक 29.07.2022 द्वारा प्रत्येक जोनल मुख्यालय एवं उसके अधिक्षेत्र में आने वाले जनपदों में नोडल अधिकारी नामित किए जाने के निर्देश दिये गए हैं। सभी जोनल अपर आयुक्त द्वारा अनुपालन के क्रम में नामित प्रत्येक नोडल अधिकारी का विवरण उनको उपलबध कराए गए ऑनलाइन लिंक के माध्यम से गूगल शीट पर आज दिनांक 01.08.2022 को ही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

3. प्रान्तीय अधिनियम की धारा–51 के अन्तर्गत स्रोत पर कर की कटौती करने वाले दायी प्रत्येक व्यक्ति (आहरण–वितरण अधिकारी) का विवरण भी उपलब्ध करायी गई गूगल शीट पर दिनांक 07.08.2022 तक पूर्ण किया जाएगा। आहरण–वितरण अधिकारियों के ई–मेल एवं मोबाइल नम्बर की गूगल शीट पर प्रविष्टि में कोई त्रुटि न हो।

4. प्रत्येक जनपद में रूपया पांच करोड़ से अधिक लागत वाली निर्माणाधीन सरकारी परियोजनाओं का विवरण जिला अर्थ एवं सांख्यिकीय अधिकारी (DSTO) से प्राप्त करते हुए इनको निष्पादित करने वाले संविदाकारों का वांछित विवरण उपलब्ध करायी गई गूगल शीट पर नोडल अधिकारी द्वारा दिनांक 17.08.2022 तक पूर्ण कराया जाएगा।

5. जिला पंचायत, ब्लाक एवं ग्राम पंचायत स्तर पर माल और/अथवा सेवा की प्राप्त की जाने वाली आपूर्ति के भुगतान के समय सम्बन्धित आहरण–वितरण अधिकारी द्वारा नियमानुसार स्रोत पर कटौती किए जाने, टीडीएस की धनराशि का भुगतान एवं समयान्तर्गत

जीएसटीआर–7 दाखिल करने के विधिक दायित्व से सम्बन्धित आहरण–वितरण अधिकारियों को जागरूक करने के उद्देश्य से नियमित अन्तराल पर संगोष्ठी का आयोजन किया जाए।

<u>संलग्नकः</u> शासनादेश संख्या–467/ग्यारह–2–9(37)/22–2022 दिनांक 29.07.2022 की प्रति।

(मिनिस्ती एस0)
आयुक्त
राज्य कर, उ0प्र0।

<u>पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।</u>

<u>प्रतिलिपि</u> :

1. प्रमुख सचिव, राज्य कर, उ0प्र0 शासन महोदय को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि अधीनस्थ समस्त आहरण–वितरण अधिकारियों को शासनादेश दिनांक 29.07.2022 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी को अनुपालनार्थ प्रेषित।

1/8/2022
आयुक्त
राज्य कर, उ0प्र0।